सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025/731 दर्ज तिथिः—09.10.2025

तहसीलदार गुड़ामालानी

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत नगर

.................अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—स्वयं
अप्रार्थीः—स्वयं

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—15.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया है किः—
   - कि मूल खसरा संख्या 360 मौजा दौलपुरा में से मौके पर चल रहे रास्ता खसरा संख्या 478/360 रकबा 1.6187 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता मौजा दौलपुरा पटवार मण्डल नगर तहसील गुड़ामालानी चलायमान है।
   - कि मौके पर चल रहे उक्त रास्ता खसरा संख्या 478/360 की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में मौके से भिन्न कर दी गई। परिशिष्ट ''बी'' में प्रस्तावित बिन्दु संख्या ए, बी, सी की तरमीम मौके पर चलायमान रास्ते पर ही की गई परंतु बिन्दु संख्या सी, डी, ई, एफ तरमीम मौके पर चलायमान रास्ते बरंग हरा पर नही की गई।
   - कि उक्त तरमीम परिशिष्ट बी में बरंग हरा पर नहीं होकर बिन्दु संख्या सी, डी, ई, एफ पर होने पर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में भिन्नता उत्पन्न हो गई। पड़ौसी खातेदारो में विवाद की स्थिति पैदा हो गई। समस्त आमजन को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- कि इस प्रकार समस्त ग्रामजन की ओर से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रस्तुत परिशिष्ट 'बी' में बरंग हरा स्थान पर तरमीम दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/कोर्ट/2026/2556 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/2026/2556 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

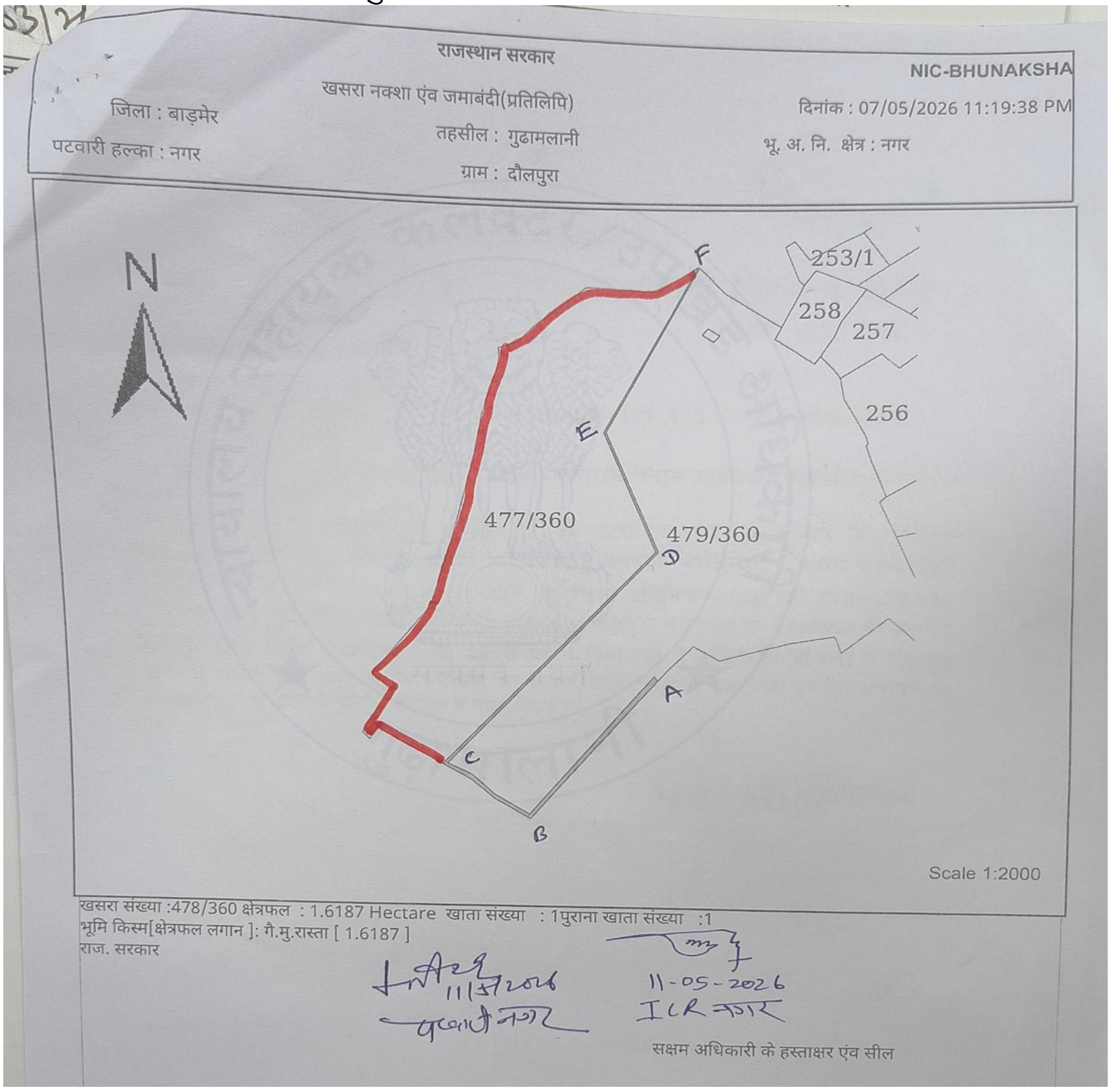

3. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/कोर्ट/2026/2556 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—
   1. कि मौजा दौलपुरा के खसरा संख्या 478/360 रकबा 1.6187 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता वर्तमान में जहां तरमीम है वहां किसी प्रकार से चलायमान नहीं है तथा मौके पर उबड़ खाबड़ धोरे व ढाल है।

2. कि उक्त रास्ते की तरमीम से मूल खसरा दो भागों में विभक्त हो गया।
3. कि उक्त रास्ते की तरमीम परिशिष्ट बी के अनुसार की जानी उचित है।
4. कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनुसार मौके की भिन्नता है तथा परिशिष्ट बी के अनुसार तरमीम किये जाने पर मौके पर भिन्नता समाप्त हो जायेगी।
5. कि वर्तमान तरमीम के अनुसार मौके पर पेड़–पौधे सघन है तथा भविष्य में भी इस पर किसी प्रकार रास्ता बनाया जाना संभव नहीं है। प्रस्तावित रास्ता में पेड़–पौधे व उक्त भूमि रास्ते के रूप में मौके पर चलायमान रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है।
6. कि परिशिष्ट ''बी'' में दर्शित बिन्दु सी, डी, ई, एफ के स्थान पर बरंग लाल के अनुसार तरमीम शुद्धिकरण किया जाना प्रस्तावित है। तरमीम दुरूस्त से रकबे में कोई संशोधन नहीं होगा।

4. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/2556 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/2556 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थीगण सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/2556 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/2556 दिनांक 13.05.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी